मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

वर्ष 59 | मार्च, 2014 | अंक 3

सभापति का पत्र :

राजनैतिक दलों के घोषणापत्र को कौन पढ़ता है ? निःसंदेह न तो किसान न ही इन राजनैतिक दलों के नीचे के कार्यकर्ता। हमें यही उम्मीद रहती है कि किसी न किसी घोषणा पत्र में हमारी मांगों को स्थान दिया जाएगा। हमने एक सूची तैयार की है जो कि वास्तव में एक इच्छा सूची नहीं है।

कृषि अनुसंधान और विकास क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2 प्रतिशत भाग व्यय करने पर हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में आठ गुना अधिक कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक छह गांव में एक कृषि स्नातक को विस्तार कर्मचारी (एक्सटेंशन वर्कर) के रूप में नियुक्त करने से एक लाख से अधिक नौकरियां मिल सकती हैं। देश में भूमि के प्रत्येक भूखंड के लिए भूमि कार्ड तैयार किया जाए। जैविक पद्धति, समेकित कीट–प्रबंधन और अनुसंधान की प्रकिया हेतु बाजरा और जैव तकनीक जैसे क्षेत्रों के लिए 10 गुना अधिक राशि दी जाए।

किसानों को एक लाख रूपए तक के दिए जाने वाले ऋण की संख्या दो गुनी की जाए और उनसे 1 प्रतिशत का ही ब्याज लिया जाए। ऋण वसूली ट्रिब्यूनल की तरह ही एक अथोरिटी बनाई जाए जो किसानों को दिए जाने वाले ऋण संबंधी विवादों का निपटान कर सकें। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कृषि ऋण के विवरण की सीएजी द्वारा लेखा परीक्ष कराने का आदेश दिया जाए।

जब किसान अपनी फसलों का बीमा कराते हैं, तो सरकार उनके प्रीमियम का 50 प्रतिशत भाग दें।

10 लाख जलाशयों की मरम्मत या इन्हें तैयार किया जाए। किसानों का नदियों के जल के उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके रख–रखाव की राशि भी उन्हें अंतरित करनी चाहिए। इस राशि से विद्यमान सिंचाई की सभी आधारभूत सुविधाओं की मरम्मत होगी और जिन क्षेत्रों में पानी जमा हो जाता है वहां नालियों की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार भूमि में नमी की मात्रा मापने के लिए भूमि सेंर्सस बांटेगी।

घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे देश में खरीद करने की गारंटी दी जाएगी। आंकड़े एकत्रित करने के लिए 10 गुना राशि बढ़ाई जाएगी। मार्केट यार्ड की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि की जाए और विद्यमान यार्डों में संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। देश भर के नगरों में 10000 किसानों की मंडियों के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाए। कृषि उपजों की बिकी पर लिए जाने वाले कमीशन की अधिकतम सीमा 2 प्रतिशत करने के लिए कानून बनाया जाऐ।

अधिकतम किसान परिवाार कृषि मशीनरी आदि खरीदने के कारण ऋण के जाल में फंस जाते हैं। ज्यादातर किसान जो मशीनरी खरीदते हैं वह इसका अधिकतम समय तक उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कम भूमि होती है। सहकारी समितियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए जिससे वे कृषि मशीनरी की खरीद करें और इस मशीनरी को वे शून्य ब्याज पर किसानों को उपयोग हेतु पट्टे पर दें। कृषि विविधीकरण पर व्यय दोगुना किया जाए जिससे इससे संबंधित क्षेत्रों जैसे बागवानी, मछली पालन और पशु पालन क्षेत्रों में सुधार हो सके जो इस समय पिछड़े हैं। अन्य कृषि कार्यों की तुलना में बागवानी क्षेत्र में पांच गुना अधिक रोजगार के अवसर हैं। सभी किसानों को अच्छे स्तर के दो पशु दिए जाएं जो उनकी स्थानीय स्थितियों और जलवायु के अनुकूल हों और किसानों के लिए उनके आस–पास ही पशु चिकित्सक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए।

कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई के स्थान पर एक शक्तिशाली मंत्रालय बनाया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरह ही एक खाद्य सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाए।

– अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

स्मार्ट बनने के लिए कृषि अनुसंधान को अपनाने का समय

*** डॉ० पीटर ई. केनमोर**

कृषि अनुसंधान पर प्रत्येक वर्ष कुल व्यय करना महत्वपूर्ण, समझदारी से व्यय करना, अनुकूल करना, जैसे अन्य स्थानीय प्रश्न भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कृषि अनुसंधान में पैसा खर्च करने की जांच से पता चलता है कि सार्वजनिक अनुसंधान के कुल पैसे का 50 प्रतिशत भाग अब विकासशील देशों में खर्च किया जा रहा है। चीन अपने कृषि क्षेत्र में विश्व के कुल सार्वजनिक अनुसंधान पैसे का 13 प्रतिशत, भारत 7 प्रतिशत, शेष एशिया और पेसिफिक 5 प्रतिशत एवं ब्राजील 4 प्रतिशत भाग खर्च करता है। वर्ष 2008 के अनुसार (डॉलर में खरीद शक्ति) इसका अर्थ चीन में 2.1 बिलियन

अमरीकी डॉलर, भारत में 0.6 बिलियन डॉलर, 0.5 बिलियन अमरीका में और ब्राजील, अर्जेंटाइना, ईरान, जापान, नाइजीरिया और रूस में 0.2–0.2 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च किया गया।

वर्ष 2008 के पश्चात विश्व में सार्वजनिक खर्च लगभग 16 बिलियन अमरीकी डॉलर, निजी क्षेत्र में वर्ष 2000 और वर्ष 2008 के बीच पूरे विश्व में खर्च में कुछ वृद्धि हुई और इस अनुसंधान का अधिकतम भाग खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में खर्च हुआ। निजी क्षेत्र के खर्च में इस अवधि के दौरान 26 प्रतिशत किंतु सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए खर्च में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्ष 2008 में समग्र अनुपात 79 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में 21 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्र की लगातार महत्वपूर्ण भागीदारी सराहनीय है जो कि अति आवश्यक भी है और निजी क्षेत्र में भी पर्याप्त खर्च किया गया था। निजी क्षेत्र द्वारा कृषि अनुसंधान एवं विकास का कार्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किया गया है क्योंकि इसमें प्रमुख कारण इसका सुरक्षित निवेश होना है।

समझदारी से अनुसंधान की रणनीति तैयार करना लाभकारी होता है, नई फसल और कृषि भौगोलिक पद्धति प्रबंध पैथवेज जैसे अधिक विकल्प मिलते हैं न कि विभिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाली तकनीक। समझदारी का अनुसंधान अति महत्वपूर्ण होता है और स्थान पर आधारित होता है तथा प्रायः यह खेतों में किया जाता है। भारत में जब मैंने 32 वर्ष पहले कार्य करना आरंभ किया था तो मैंने नंगे पैरों से कीचड़ में चावल और धान स्वयं लगाया था किंतु आज कुछ वैज्ञानिक ही खेतों में कार्य करते हैं। अनुसंधान पद्धति खेतों में काम करने वालों को रिवार्ड नहीं देती है फिर भी भारत के 630 जिला कृषि अनुसंधान केंद्र की अनुपम पद्धति, कृषि विज्ञान केंद्रों का भरपूर लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इनका बेहतर ढंग से समर्थन करना चाहिए ताकि कारगर अनुसंधान किया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्रों में किसानों के सहयोग से किए गए अनुसंधान का विश्लेषण करके विभिन्न अनुसंधान संबंधी प्रश्न उठ सकते हैं और इनके मार्ग निर्देशन के लिए विकास और प्रबंधन की रणनीति अपनानी होगी। चावल की समेकित कीट प्रबंधन, किसानों द्वारा व्यवस्थित भूजल पद्धति और कपास में कीटनाशक एवं सिंचाई के तीन मामलों से स्मार्ट कृषि अनुसंधान के लिए अवसर दिखाई देते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, फिलिपाइन्स के कृषि अनुसंधान से प्रतीत होता है कि जिन चावलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया गया था वे नष्ट हो गए और उसके समीप ही जिन चावल के खेतों में छिड़काव नहीं किया गया था वहां पैदावार 6.5 टन प्रति हेक्टेयर हुई। कीटनाशकों से प्राकृतिक शत्रुओं (नेचुरल एजिमीज़) का अंत हो जाता है और इससे एक ऐसे कीड़े का जन्म हो जाता है जिसे चावल ब्राउन प्लान्थोपर कहते हैं। जिन फसलों पर छिड़काव किया गया था उन फसलों के कीड़ों में 800 गुना वृद्धि हुई जबकि बिना छिड़काव की फसलों पर ऐसा नहीं हुआ, एक फसल मौसम के दौरान मकड़ियों का 80 से 90 प्रतिशत दमन हो गया और अन्य प्राकशतिक शत्रुओं का भी 75 से 85 प्रतिशत तक समाप्ति हुई। प्राकृतिक कीड़ों को समाप्त करने से फसलों में अन्य

कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। इंडोनेशिया, फिलीपाइन्स, विऐतनाम और तमिलनाडु के थंजुवार जिले में इस प्रकार का अध्ययन करने से ऐसे ही परिणाम मिले हैं।

इंडोनेशिया ने नीतियों से सीखा और पांच वर्ष की अवधि में चावल उत्पादन में कीटनाशकों का उपयोग कम कर दिया और यह 65 और 70 प्रतिशत तक कम कर दिया तथा चावल उत्पादन बढ़ना जारी रहा। यह गहन अनुसंधान का एक अच्छा उदाहरण है: यह पता चल गया कि यह समस्या कीटनाशकों के उपयोग से हुई थी, इस कारण अहसास हुआ कि खेतों में उपस्थित प्राकृतिक शत्रु ही अधिक कारगर समाधान है। विऐतनाम, फिलिपाइन्स, थाइलैंड और बंग्लादेश में भी इसी नीति पर काम किया गया। भारत में भी 1990 के दशक के मध्य से कुल कीटनाशकों के उपयोग में कमी की, विशेषकर चावल उत्पादन में जो 33 प्रतिशत से भी अधिक थी। इस प्रकार चावल का अनुपातिक उत्पादन बढ़ता रहा और वर्ष 2012 आते आते भारत का चावल उत्पादन 103 मि.टन प्रति वर्ग से भी अधिक हो गया।

आंध्र–प्रदेश में 10 वर्ष पहले जल और भूजल पर किए गए अनुसंधान के परिणाम से किसानों ने खरीफ मौसम के दौरान भूजल की मात्रा को मापना सीखा। उन्होंने माइक्रो वाटरशेड्स के माध्यम से हजारों किसानों को इसकी सूचना दी। अगले रबी मौसम में ही उन्हें अनुमान हो गया कि कितना जल बचा रह गया है। अतः उन्होंने धान उगाने के स्थान पर सूरजमुखी उगाया और प्रति फसल केवल एक तिहाई पानी का ही उपयोग किया। अगले खरीफ मौसम में जब वर्षा आरंभ हुई तो किसानों को उपयोग हेतु अधिक पानी मिल गया। अब वे रणनीति तैयार करके अपनी फसल में परिवर्तन करने के लिए सक्षम थे। वाटरशेड हाइड्रोलोजी और जिओ–हाइड्रोलोजी के क्षेत्र में गहन अनुसंधान से किसानों को यह पता चल गया कि अब कितना पानी शेष बच गया है।

यह एक गहन अनुसंधान था जिसका उपयोग इसके विस्तार के लिए किया गया और इसे नाम दिया गया 'फार्मर फील्ड स्कूल्स' जहां भाग लेने वालों को उनकी स्थानीय तकनीक के विकल्पों को अच्छे ढंग से समझने में सहायता मिली। किसानों को खेत पर ही व्यवहारिक ज्ञान दिया गया, नई धारणाएं बताई गई और उनके प्रश्नों को वार्तालाप के माध्यम से समझाया गया तथा उन किसानों ने इन सीखों और नई धारणाओं को महत्वपूर्ण ढंग से अपनाया। उन्होंने अपने स्थानीय क्षेत्र में पानी की मात्रा जानी, नई फसल के विकल्पों को जाना और उसके बाद बड़ी संख्या में किसानों के साथ इन्हें सांझा किया जिसे नाम दिया गया 'कॉप वाटर बजट' जो कि एक उदाहरण है कि फारमर फील्ड स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। एफएफएस आंदोलन की शुरूआत से लेकर अब तक 50 देशों में एक करोड़ से अधिक छोटे और मझोले किसान एफएफएस से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं जो यह सीख चुके हैं कि कृषि भौगोलिक और उत्पादन समस्याओं का कैसे पता लगाएं, उन पर प्रयोग करें और नए समाधान निकालें। 1990 के दशक में एफएफएस किसानों ने आंध्र–प्रदेश के गंटूर जिले में (उस समय भारत का यह कीटनाशक उपयोग करने वाला नंबर वन जिला था) और इसके बाद तमिलनाडु में मदुराई। यह वो समय था जब भौगोलिक बाधाओं के कारण कीटनाशकों का उपयोग

कैलेंडर आधारित था, इससे अमरीकन बीज कीड़े की समस्या उत्पन्न हो गई। इस कारण एफएफएस में भाग लेने वालों ने प्रति मौसम औसतन एक छिड़काव किया जबकि पहले 10–15 छिड़काव प्रति मौसम करते थे। किसानों ने अच्छा निर्णय लेते हुए फसलों में विविधीकरण अपनाया और अपने प्राकृतिक शत्रुओं के अनुपात में कीटों का उपयोग किया। पिछले 3 वर्ष में एफएफएस बैटर कॉटन इनिशिएटिव के माध्यम से प्रकट हुए जिसमें सार्वजनिक और निजी सहयोग दोनों मिले हैं। बीसीआई एफएफएस किसानों की संख्या वर्ष 2012 में 1.5 लाख हो गई और इसका क्षेत्र भी बढ़कर 2.6 लाख हेक्टेयर हो गया और फसल भी औसतन लगभग 800 कि.ग्रा. तक पहुंच गई जो देश की सामान्य औसत से 35 और 40 प्रतिशत अधिक है। यद्यपि बीसीआई एफएफएस किसानों, दोनों ने और जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था इन सबने बीटी कॉटन किस्में उगाई और बीसीआई एफएफएस किसानों ने अपने अधिक उत्पादन के लिए कम कीटनाशकों का उपयोग किया।

इस प्रकार से खेती के इतने अच्छे परिणाम कम कीटनाशकों का (चाहे कपास की कोई भी किस्म थी) उपयोग करते हुए पिछले दो दशकों में देखा गया है कि कपास के उत्पादन में यह एक प्रेरक खोज है। इसका निर्णय फसलों के और भारत में प्रमुख कीट के प्रकाशित आंकड़ों, आधुनिक कंप्यूटर के मॉडलों का पूरे विश्व में उपयोग करने के आधार पर किया गया है। पिछले चावल के मामले के अनुसार ही इस ईको–सिस्टम को समझने के लिए यह आवश्यक है कि प्रमुख कीट अमरीकन बीज कीट नहीं है बल्कि पिंक बॉलवार्म है जो पारंपरिक भारतीय कपास का कीड़ा है जिसका उल्लेख 150 वर्षों से अधिक समय पहले वैज्ञानिक साहित्य में किया गया है। 1970 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक कीटनाशकों के अधिक उपयोग से प्राकशतिक दुश्मन (नेचुरल एनिमीज़) का अंत हुआ है और अन्य कीटों का जन्म हो गया जिसमें अमरीकन बॉलवार्म शामिल है। ब्लॉकों (प्रत्येक ग्रिड 10X10 कि.मी. का क्षेत्र दर्शाता है) की भौगोलिक सूचना पद्धति के आंकड़ों से पता चलता है कि कपास का अधिकतम क्षेत्र वर्षा पर आधारित है।

वर्ष 1980 से वर्ष 2010 तक के ऐतिहासिक मौसमी आंकड़ों के आधार पर कपास मॉडल का उपयोग करते हुए यह देखा गया कि वर्षा आधारित कपास की फसल वर्षा पर निर्भर होती है। एक मौसम के दौरान फूल खिलते हैं, फिर कलियां बनती हैं और उसके बाद फल निकलता है। जीआईएस कपास उत्पादन क्षेत्र में और फसलों रिकार्डिड मौसम के अनुरूप मॉडलिंग की जाती है। इसमें पिंक बॉलवार्म के मामले शामिल हैं – मौसम के आरंभ में आने वाली गर्मी फसल में जाती है और इस प्रकार कपास की फसल को क्षति पहुंचाती है।

सिंचित कपास की बुआई वर्षा आधारित कपास से पहले करने के कारण पिंक बॉलवार्म सिंचित कपास की फसल में बॉल्स के दूसरे समूह पर हमला करते हैं जिस कारण ये कीड़े बाहर आ जाते हैं, इसके पश्चात बड़े कीड़े (व्यस्क) बाहर आते हैं और फिर अंडे दे देते हैं। ऐसा होने पर विशेष वर्षा आधारित कपास, जिसकी बुआई सिंचित कपास के बाद की जाती है, पर पिंक बॉलवार्म बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। पिंक बॉलवार्म और इनके

धनत्व तथा आधुनिकीकरण की एक संभावित रणनीति यह थी कि सिंचित कपास को पिंक बॉलवार्म के पैदा होने से पहले रोल किया जाए, जो वर्षा आधारित कपास पर हिट करती है, इस प्रकार दो फसलों की पद्धति में एक नकारात्मक दूरी थी। यह परिणाम हमें गहन, भू–पद्धति आधारित अनुसंधान से प्राप्त हुआ है। यदि इसे प्रमुख कपास कृषि भू–पद्धति में अपनाया जाए तो शायद अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान मोड में हमें बेहतर कपास की फसल प्राप्त हो सकती है जिसे प्रत्येक जिले में लागू किया जा सकता है और इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों को भी पूरा सहयोग देना होगा।

कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सघन रणनीति (स्ट्रेटिजिक एप्रोच) है कि उच्च घनत्व वाले पौधे लगाए जाएं जिन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने अनुसंधान किया और इसे विकसित किया है तथा कृषि विभाग ने इसे अच्छे ढंग से प्रोमोट किया है। भारत में किसानों द्वारा उगाए जाने वाले कपास के पौधों का औसत घनत्व लगभग 2–2.5 प्रति वर्गमीटर है, इस प्रकार फसल अनुरोपण दर्शाता है कि प्रति वर्ग मीटर में छह पौधों की फसल अधिक है जो वर्षा आधारित परिस्थितियों में है और आठ पौधे प्रति वर्ग मीटर सिंचित परिस्थितियों में हैं। भारत के अधिकतम कपास उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ सकता है यदि उच्च घनत्व में पौधे लगाए जाएं।

कृषि विज्ञान केंद्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे विकेंद्रीकृत हैं और वे स्थानीय स्तर पर उस समय मार्गदर्शन कर सकतें हैं जब किसान संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। इन केंद्रों को किसानों के उत्तरों और मुद्दों को समझना चाहिए, स्थानीय क्षेत्रों में कीटों की जनसंख्या और प्राकृतिक शत्रुओं का पता लगाना चाहिए तथा इनकी सूचना किसानों को देनी चाहिए। उन्हें एक वास्तविक समय सीमा देनी चाहिए और कारगर नेटवर्क तथा खेतो और जिलों में अनुसंधान हेतु बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर अनुसंधान कार्य संपन्न हो। संपूर्ण राष्ट्रीय पद्धति स्थानीय मुददों पर अधिक कार्य करेगी, जो किसानों के अनुरूप होगा और इसके लिए इन्हें खेतों पर ही जाना होगा। यह क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है और इस क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। कृषि विज्ञान केंद्र तकनीक के अंतिम प्रसारणकर्ता नहीं हैं। वे समस्या का समाधान करने वाले हैं और इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्रो के उत्तम स्थानीय भागीदार शायद फार्मर फील्ड स्कूल्स हो सकते हैं जहां किसान और वैज्ञानिक स्थानीय समस्याओं की कारगर ढंग से पहचान, देंख सकते हैं और इनका विश्लेषण कर सकते हैं। भारत को कृषि विज्ञान केंद्रों और फार्मर फील्ड स्कूल्स का सहयोग लेना चाहिए ताकि कृषि उत्पादन की समस्या का समाधान तथा भू–पद्धति सेवाओं का प्रत्येक जिले में स्थानीय स्तर पर लाभ पहुंचा सके।

---

* डॉ० पीटर ई. केनमोर, भारत में यू.एन. के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधि हैं।

पौष्टिकता की नब्ज को नज़रअंदाज करना: भारतीय दाल की कहानी

* भावदीप कंग

दाल, हमारे पारंपरिक खाने का प्रमुख और अभिन्न भाग है और अधिकतम भारतीयों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी है जिसकी बहुत कमी हो रही है – इस कारण यह समझा में नहीं आ रहा है कि केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दिया गया नवीनतम नारा 'भूखे को भोजन दो' से भारत की सबसे बड़ी समस्या प्रोटीन की कमी को दूर क्यों नहीं किया जा सका।

कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की आपूर्ति कर रही हैं जैसे तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो केंद्रीय सरकार ऐसा करने के लिए सतर्क गंभीर क्यों नहीं हो रही ? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) दालों की खरीद और वितरण करता है। इस विषय पर बहस की जा सकती है कि निधियों की कमी है। संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा (यूपीए) की अध्यक्षा सोनिया गांधी, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू कराने के लिए उत्सुक थीं, ने स्पष्ट कर दिया है कि भूख और कुपोषण मिटाने के लिए धन जुटाना होगा चाहे आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी भी हो।

एक अन्य बाधा यह है कि वितरण हेतु पर्याप्त दाल उपलब्ध नहीं है। सरकार घरेलू किसानों से इतनी बड़ी मात्रा में खरीद नहीं कर सकती न ही आयात कर सकती है जिससे प्रति व्यक्ति 40 ग्राम दाल प्रतिदिन की न्यूनतम मांग को पूरा किया जा सके जैसा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने सिफारिश की है।

तो फिर क्यों खाद्य मंत्रालय ने दालों की आयात पर 7.5 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है जो कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की सिफारिश पर लगाया गया है ? यह कार्य भी तब किया गया जब केवल 3 महीने पहले दाल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के साथ–साथ शून्य शुल्क की नीति अपनाने को कहा गया था ताकि दालों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोका जा सके (1 वर्ष पहले दालों की मुद्रा–स्फीति दर 34.5 प्रतिशत थी)।

इसके अतिरिक्त, आयात पर आर्थिक सहायता देने की योजना भी तैयार की जा रही है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दर पर दाल दी जाएगी जिसमें पहले 10 कि.ग्रा., इसके पश्चात् इसे बढ़ाकर 20 कि.ग्रा. कर दिया गया। चालू वर्ष में 250 करोड़ रू. आबंटित किए गए हैं जबकि पिछले 3 वर्षों में कुल 577 करोड़ रू. आबंटित किए गए थे। उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2006–11 से आर्थिक सहायता पर किए गए दाल के आयात से 1200 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई थी, इसका कारण कुप्रबंधन था जैसा दिसंबर 2011 की रिपोर्ट में कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा है।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2012-14
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2012-14

प्रकाशन की तिथि : 1 मार्च, 2014
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–2,
तारीख 4 एवं 5, मार्च 2014

खाद्य मंत्रालय इसका तर्क दे रहा है कि दाल उत्पादकों को सस्ते आयात से बचाने के लिए सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इस कारण दालों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे रहे। इसका प्रमुख कारण कनाडा से आयात की गई पीली मटर है और आंशिक रूप से म्यनमार से चना और तुर का आयात है। घरेलू मूल्य नीचे जाने के कारण व्यापारी इसके निर्यात की अनुमति देने की दुहाई दे रहे थे।

वर्तमान कुपोषण के स्तर को देखते हुए अधिक दालों की अति आवश्यकता है। आयात करना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है और दालों पर शुल्क लगाकर इसे और महंगा करना भी ठीक नहीं है जबकि डॉलर के मुकाबले रूपए की कीमत सबसे नीचे जा चुकी है। घरेलू उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य और तकनीकी सहायता देकर बढ़ाया जा सकता है और अधिक पैदावार को खेतों पर ही खरीदा जा सकता है। इसके साथ–साथ दाल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटा जाए और इसका बफर स्टॉक भी रखा जा सकता है। राजस्व घाटे का क्या होगा ? जैसा सोनिया गांधी ने कहा 'प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास संसाधन हैं या नहीं बल्कि क्या हम उन संसाधनों का संपूर्ण या समेकित उपयोग कर पाते हैं।'

फार्म – IV (नियम संख्या 8 देखें)
कृषक समाचार हिन्दी मासिक समाचार पत्र का विवरण

1.	समाचार पत्र का नाम	कृषक समाचार
2.	समाचार पत्र की भाषा	हिन्दी
3.	समाचार पत्र की अवधि	मासिक
4.	समाचार पत्र का प्रकाशन का स्थान	ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013
5.	प्रकाशक	उरविन्द्र सिंह भाटिया
6.	सम्पादक का नाम	उरविन्द्र सिंह भाटिया
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पूरा पता	ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013
7.	मुद्रक का नाम	उरविन्द्र सिंह भाटिया
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पूरा पता	ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013
8.	छपने वाले प्रैस का नाम	एवरेस्ट प्रैस, ई–49/8, औखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020
9.	स्वामित्व का विवरण	भारत कृषक समाज
	व पूरा पद एवं पता	ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली–110013
10.	स्वामित्व का स्तर	पंजीकरण नियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड एसोसिएशन

घोषणा

मैं, उरविन्द्र सिंह भाटिया घोषण करता हूँ कि कृषक समाचार हिन्दी मासिक पत्र के सम्बन्ध में दिये गऐ सभी उपरोक्त विवरण सही और सत्य हैं।

स्थान – नई दिल्ली
तारीख – 1 मार्च, 2014

उरविन्द्र सिंह भाटिया
सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 65650384, ई–मेलः contact@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।